संख्या-2/2017/883/एक-4-2017-रा0-4

प्रेषक

धीरज पाण्डे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 26 जुलाई, 2017

विषयः- केन्द्र पुरोनिधानित राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एन0एल0आर0एम0पी) के अन्तर्गत प्रदेश के अवशेष जनपदों के भू-मानचित्रों के डिजिटाइजेशन हेतु डी0आर0डी0ए0 लखनऊ के पी0एल0ए0 खाते में जमा धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-188/1-18-2017/क0सेल/19/ 2005 दिनांक-20.06.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे ।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासनादेश संख्या-2463/1-4-13-2बी-4/09, दिनांक-17.01.2014 द्वारा निर्गत रू0 580.848 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-428/1-4-13-2बी-4/09 दिनांक-30.03.2014 द्वारा डी0आर0डी0ए0 लखनऊ के पी0एल0ए0 में रखी गयी थी। श्री राज्यपाल डी0आर0डी0ए0 लखनऊ के पी0एल0ए0 में रखी उक्त धनराशि रू0 580.848 लाख में से 26583 मैप सीटो के डिजटाइजेशन हेतु रूपयें 1496.64 प्रति मैपसीट की दर से कुल रूपये 3,97,85,181/- (रूपये तीन करोड़ सत्तानवे लाख पिचासी हजार एक सौ इक्यासी मात्र) को आहरित कर व्यय करने की अनुमति उक्त शासनादेश दिनांक 17.01.2014 में निर्धारित निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

(1) योजनाओं के व्ययों को मानक मदवार हुई बजट व्यवस्था की सीमा तक सीमित रखा जाय।

(2) वस्तुओं के क्रय के सम्बन्ध में क्रय नियमों के अधीन बाजारू प्रतिस्पर्धा को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार क्रय की कार्यवाही की जायेगी।

(3) वस्तुओं/सामग्री का क्रय करने हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अधीन बाजारू प्रतिस्पर्धा के दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(4) कम्प्यूटर तथा मशीनों के क्रय के सम्बन्ध में निविदा की कार्यवाही के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार व्यय इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा, जिससे समर्पण की स्थिति उत्पन्न न हो, इस सम्बन्ध में राजस्व परिषद का दायित्व होगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार के निर्देशानुसार एवं भारत सरकार के मानक के अनुसार ही किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित की जाय।

(8) आहरित धनराशि किसी भी दशा में किसी भी बैक खाते में न रखी जाय।

(9) कार्यदायी संस्था को भुगतान वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर भुगतान सम्बन्धी निर्गत आदेशो के आधार पर किया जाय।

(10) यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-5-517/दस/2017दिनांक- 25 जुलाई, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(धीरज पाण्डे)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-883(1)एक-4-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (लेखा एवं आडिट) प्रथम/द्वितीय इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ/कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
4. गार्डफाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(बीरबल सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।